

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन)नियम १९९८ (यथासंशोधित) के अन्तर्गत
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी अस्पतालों व अन्य
संस्थाओं की अद्यावधिक स्थिति

माह जून २००६

बिस्तर क्षमता	कुल अस्पतालों की संख्या	उपचार व्यवस्था है या सामूहिक इन्सिनरेटर से सम्बद्ध	प्राधिकार प्राप्त अस्पतालों की संख्या
५०० या ५०० से अधिक बिस्तर क्षमता	१७	१५	०४
२०० से अधिक परन्तु ५०० से कम बिस्तर क्षमता	४६	३६	१३
५० से अधिक परन्तु २०० से कम बिस्तर क्षमता	२४४	१६०	८२
५० से कम बिस्तर क्षमता	३२२६	२५१६	८६८
अन्य	७१३	५०७	१८४
कुल योग	४२४६	३२६७	११८१

जैव चिकित्सा अपशिष्ट(प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९६८(यथा संशोधित) के अन्तर्गत अस्पतालों की संख्या एवं स्टेटस वर्ष २००६-१०

जैव चिकित्सा अपशिष्ट(प्रबन्ध एवं हथालन) नियम,१९६८(यथा संशोधित)के अन्तर्गत प्रदेश में कुल ४२४६ अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिन्हित किये गये हैं जिनमें से ३२६७ अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा सामूहिक उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध है इनमें से ११८१ अस्पतालों /नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

वर्तमान में ५०० बेड्स या उससे ऊपर के कुल १७ अस्पताल चिन्हित है जिनमें से १५ में उपचार व्यवस्था है या सामूहिक इन्सीनिरेटर से सम्बद्ध है तथा २०० से अधिक, परन्तु ५०० से कम बिस्तर क्षमता वाले ४६ चिन्हित अस्पतालों में से ३६ में उपचार व्यवस्था है या सामूहिक इन्सीनिरेटर से सम्बद्ध है । ५० से अधिक किन्तु २०० से कम कुल चिन्हित २४४ अस्पतालों में से १६० में उपचार व्यवस्था है या सामूहिक इन्सीनिरेटर से सम्बद्ध है तथा ५० से कम वाले कुल चिन्हित ३२२६ में २५१६ में उपचार व्यवस्था है या सामूहिक उपचार व्यवस्था के सदस्य है अन्य संस्थानों में से ७१३ में से ५०७ में उपचार व्यवस्था है या सामूहिक उपचार व्यवस्था के सदस्य है । उल्लेखनीय है कि २०० या अधिक बेड वाले डिफाल्टर इकाईयो मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की है जिनमें आवश्यक उपचार व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश शासन से भी अपेक्षित सहयोग के प्रयास किए जा रहे हैं , शेष १२ अस्पतालों पर नियमानुसार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । बोर्ड द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट नियम १९६८ के अनुपालन न करने वाले चार अस्पतालों मेसर्स गॉंधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़, मेसर्स टी०वी०सेनितोरियम,वृन्दावन, मथुरा, मेसर्स ओपेक हास्पिटल ,बस्ती, मेसर्स जिला चिकित्सालय, बस्ती के विरुद्ध पर्यावरण (सरंक्षण)अधिनियम, १९८६ के अन्तर्गत माननीय न्यायालयों में वाद दायर किया गया है।

प्रदेश मे कुल १७ स्थलों पर सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था स्थापित की गई है जिनमे से जनपद बरेली मे-२, गाजियाबाद-१, मेरठ-१, कानपुर-२,फैजाबाद-१, इलाहाबाद-१, लखनऊ-२, मथुरा-१, आगरा-१ झॉसी-१, वाराणसी-२,बाराबंकी-१ तथा कुशीनगर-१ है।

LIST OF CBWTF IN UTTAR PRADESH

S.NO.	NAME & ADDRESS
1.	M/s Envirad Medicare(P) Ltd, Bareilly
2.	M/s Semrenko Environment Management (P) Ltd, Ghaziabad
3.	M/s Senergy Waste Management Co, Ltd, Meerut
4.	M/s Medical Pollution Control Committee, Kanpur Nagar
5.	M/s Willward Invirinc, Kanpur Nagar
6.	M/s Ferrowild Hards India(P)Ltd,Allahabad
7.	M/s Nagar Nigam,Lucknow
8.	M/s Balrampur Hospital,Lucknow
9.	M/s Medical Pollution Control ,Jhansi
10.	M/s Centre of Pollution Control, Varanasi
11.	M/s Senergy Waste Management, Bareilly
12.	M/s Datt Enterprises Ltd, Agra
13.	M/s S.N.G. Mercantile (P) Ltd, Santkabirnagar
14.	M/s Private Doctors Association, Mathura
15.	M/s S.S.System India(p) Ltd, Faizabad
16.	M/s Senergy Waste Management,Barabanki
17.	M/s S.N.G. Mercentile Pvt, Ltd, Varanasi